राजस्व वाद संख्या:— 45/2022
नबील खान बनाम महेन्द्र सिंह वगै0
निर्णय दिनांक:— 29.09.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 45/2022

1. नबील खान पुत्र अदरीश खान, जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

— वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलाराम जाति माली निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. महावीर पुत्र श्री माला जाति माली निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0। फौत

   2/1 बाबुलाल पुत्र श्री महावीर जाति माली निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

   2/2 सुन्दरलाल पुत्र श्री महावीर जाति माली निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

   2/3 मुकेश पुत्र स्व0 श्री महेन्द पौत्र महावीर जाति माली निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. शेरसिंह पुत्र श्री बल्लाराम जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. जनत बानो पुत्री अजीम खॉ जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. मुंशी अली पुत्र अजीम खॉ जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. रहमत बानो पुत्री अजीम खॉ जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. रियाज अहमद पुत्र इनायती जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. शहजाद पुत्र इनायती जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

9. जुबेदा बानो पत्नि इस्लाम खान जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. असफाक खान पुत्र अदरीश खान जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. इजाज नबी खान पुत्र अदरीश खान जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
12. प्रवीन बानो पुत्री अदरीश खान जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
13. बतुल बानो पत्नि अदरीश खान जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
14. रजिया बानो पुत्री अदरीश खान जाति कायमखानी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
15. जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
16. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 29.09.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित विवादित कृषि भूमि ख0न0 104 रकबा 11.55 है0 स्थित मौजा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 का वादी को हिस्सा 83/792 का वाद पत्र के संलग्न नजरिये नक्शे में लाल सुर्ख मार्क A-B-C-D से दर्शाये गये भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे तथा पर्चा लगान भी वादी का अलग से कायम किया जावें।

(ख) यह कि वाद पत्र की धारा न0 01 में वर्णित उक्त कृषि भूमि ख0न0 104 रकबा 11.55 है0 में वादी का प्रतिवादीगण न0 01 लगायत 14 के मध्य बाई मीट्स व बाई बाउण्ड्स मौका कब्जा व रिकॉर्ड के आधार पर रास्ता का अंकन कर विभाजन किया जाकर पर्चा लगान तथा खतौनी पृथक–पृथक कायम की जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण न0 01 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित विवादित कृषि भूमि ख0न0 104 रकबा 11.

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

55 है0 में वादी के कब्जेशुदा कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उनके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

(घ) यह कि अन्य सिद्दी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

(ड़) यह कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 तथा 03 लगायत 14 की ओर से श्री अशोक कुमार एड0 ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया गया प्रतिवादी संख्या 02 फौत होने के कारण संशोधित टाईटल पेश किया गया तथा वारीसान को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 ने इकबालिया जवाब पेश किया गया। वकील पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074-77, नक्शा ट्रेस, विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

-:: आदेश::-

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न0 104 रकबा 11.55 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 11.55 है0 स्थित ग्राम पिलानी में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

255	3137	0	629	0	629	2508	1513	289	237	237	226	6

राजस्व वाद संख्या:— 45/2022
नबील खान बनाम महेन्द्र सिंह वगै0
निर्णय दिनांक:— 29.09.2022

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 45/2022

निर्णय दिनांक :— **29-09-2022**

नबील खान **बनाम** महेन्द्र सिंह वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री **उत्पल शर्मा एड0** व प्रतिवादीगण की और श्री **अशोक कुमार एड0** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **29.09.2022** को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न0 104 रकबा 11.55 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 11.55 है0 स्थित ग्राम पिलानी में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner